This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 23 मार्च, 2026 / 02 चैत्र, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGAR PANCHAYAT BHOTA

NOTIFICATION

Bhota, the 9th March, 2026

No-1512-A (Trade License)/NPB/2026-986.—In exercise of the powers conferred under Section 125,126,127, 128 read with Section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal

Municipal Act, 1994, I, Pankaj Kumar, Secretary Nagar Panchayat Bhota Distt-Hamirpur (Himachal Pradesh) hereby notify the following Byelaws(Final):

1. Short title, Extent and Commencement.—(i) These Bye-laws may be called the Himachal Pradesh Municipality, (Grant of Trade License for Trade Activities, Use of Premises and Storage of Articles in a Premises) Bye-laws 2025.

(ii) These Bye-Laws shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(iii) These Bye-laws shall apply to all shops/premises falling within the Municipal limits which may not be used without license for the purpose specified in Section 125,126,127, 128 read with section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 as per Annexure I and for storage of any Article, and performing of any trade within municipal limits as per the Trade Types specified in these bye-laws at Annexure I.

2. Definitions.—In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 12 of 1994)

(b) "Authorized Officer" means Secretary or any other Officer specifically authorized by the Secretary.

(c) Urban Local Body (ULB): An Urban Local Body (ULB) is an administrative unit in urban areas, responsible for governance, management, and development. ULBs for this bye-law is categorized into Nagar Panchayat Bhota.

(d) "Inspector" means Sanitary Inspector, or any other Official of the Nagar Panchayat Bhota duly authorized by the Secretary.

(e) "License" means a written permission granted by the Secretary or any other official/Officer duly authorized by the Secretary in favor of the person, owner & occupier for sale/storage of articles and **Trade Types specified in Annexure I, and zones as per Annexure II of these Bye-laws.**

(f) "Licensing Officer" means **Secretary** or any other officer duly authorized by the Secretary to grant/ renew License under the provisions of these Bye-laws.

(g) "premises", means any shop/store/place where the articles specified in Annexure I are kept for sale/storage in the godown/ premises and or where the trade activities as specified under Annexure I are performed.

(h) "Small Scale Business/Trade" means premises covering maximum area of 300 sq. ft. "Medium Scale Business/Trade" means premises covering area more than of 300 Sq. ft. to 500 sq. ft. and "large Scale Business/Trade" means premises covering area of more than 500 Sq. ft.

(i) Small Shop: A shop covering an area upto 300 square ft. shall be deemed to be a small shop.

(j) Medium Shop: A shop covering an area more than 300 sq ft. and up to 500 square ft. shall be deemed to be a medium shop.

(k) Large Shop: A shop covering an area more than 500 square ft. shall be deemed to be a large shop.

(l) Temporary Trade License: This license is issued for a brief period ranging from 1 to 30 days. It is applicable exclusively to trade activities conducted from temporary, or makeshift shops or stalls at approved fairs, events, etc. It is mandatory for the fair organizer/ temporary shop or stall owner to get the individual temporary trade license as per the terms defined in this bye-law.

(m) Zone: Functional boundary of the ULB, area designated for specific types of trade activities.

(n) Superstore: typically refers to a large retail establishment that sells a wide variety of goods.

(o) E-commerce: Electronic commerce, refers to the buying and selling of goods and services over the internet. It encompasses a wide range of online business activities for products and services.

(p) Cloud Kitchen: A cloud kitchen, also known as a virtual kitchen, is a type of commercial kitchen space dedicated solely to preparing food for delivery and takeout.

(q) Municipal Services: include but not limited to Garbage Collection, Property Tax, Electricity supply, Water supply, and Sewerage connection, provided under the jurisdiction of the Nagar Panchayat which can be regulated by separate authorities.

(r) "Shopkeeper" means any person running and managing the affairs of the shop/premises/place including its owner/occupier.

(s) The words and expression not defined under these Bye laws shall have the same meaning or sense as are defined in Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

3. Procedure for Obtaining License.—(a) Any person who wants to operate/run any business/trade as specified in Annexure I and/ or store any article as specified in Annexure I within the areas of the Nagar Panchayat Bhota and as per zone definitions in Annexure II shall apply for license on prescribed Format to Nagar Panchayat Bhota.

(b) Period of License: The License shall be issued for a period of 1year, 5 Years, 10 years & maximum up to fifteen years at a time and the License shall automatically come to an end after completion of such period.

4. Renewal of License.—(i) The license will be automatically renewed upon expiration once the applicant deposits the required fee. It can be renewed without any late fee or additional documentation within one month after expiration. If renewed within the following month (2nd Month of Expiry), a 50% penalty will apply. Beyond this period, the license cannot be renewed, and a new trade license must be applied.

(ii) No document is required to be submitted for renewal of License

5. Transfer of License.—(i) The license issued under the Bye-laws shall not be transferred in the name of any person except in case of the death of original licensee wherein it shall

be made/ transferred in the name of the legal heirs only for the validity period of license on production of supporting documents and shall be decided by Secretary keeping in view the circumstances of the case.

(ii) Transfer of Trade License fees will be charged as per prescribed fees decided by the ULB.

6. Closure of License.—The license issued under the Bye-laws can be requested for closure in case of winding up of the business. The licensee shall provide information as per prescribed guidelines to the Secretary for winding up of his business. Closure of Trade License fees will be charged as per prescribed fees, decided by the ULB.

7. Modification of License.—The license issued under the Bye-laws can be requested for modification in the following heads only.

(i) In-case of Change of Mobile Number (Trade Owner)

(ii) In-case of Change and or Addition in Subcategory or Trade under the preselected sector as per Annexure I. (Note: Sector cannot be Modified, Multiple licenses will have to be applied for, multiple sectors).

(iii) In-case of Change of Business/ Trade Address (Modification of trade address is only allowed in case the address is being changed within the same ward of the ULB.).

Modification of Trade License fees will be charged as per prescribed fees, decided by the ULB.

8. License Fees.—The license fee for grant of license shall be decided by the Secretary from time to time. The fee shall be charged in the following manner:

Fees	Formula for Calculation
Trade License Fees	Fees (Scale of Business as per Scale of Business table below) ± [Fees (Trade Type as defined in Annexure I) x Applicable Zone Factors (Defined in Annexure II)]

Sl. No.	Scale Of Business	License Period 1 Year	License Period 5 Years	License Period 10 Years	License Period 15 years
1.	Small scale business/trade	As Per Prescribed fees, decided by ULB.	As Per Prescribed fees, decided by ULB.	As Per Prescribed fees, decided by ULB.	As Per Prescribed fees, decided by ULB.
2.	Medium business/trade	As Per Prescribed fees, decided by ULB.	As Per Prescribed fees, decided by ULB.	As Per Prescribed fees, decided by ULB.	As Per Prescribed fees, decided by ULB.
3.	Large scale business/trade	As Per Prescribed fees, decided by ULB.	As Per Prescribed fees, decided by ULB.	As Per Prescribed fees, decided by ULB.	As Per Prescribed fees, decided by ULB.

9. Temporary Trade Licenses.—(i) Temporary Trade Licenses are applicable only in case of fairs, festivals, and other such events within the ULB, for a period of 1 day to 30 days only.

(ii) These licenses are specifically issued for temporary or makeshift shops or stalls at fairs and similar events. Temporary Trade License Fees to be charged as per the formula below:

Fees	Formula for Calculation
Temporary Trade License Fees	Fees (As per Temporary Shop / Stall Type Table Below) + [Fees (Trade Type as defined in Annexure I) x Applicable Zone Factors (Defined in Annexure II)]

In fairs, temporary / makeshift Shop/ stall trade fees within ULB is defined below:

Sl. No.	Shop Type	Shop Rate
1.	Small Size Shop	As Per Prescribed fees, decided by ULB
2.	Medium Size Shop	As Per Prescribed fees, decided by ULB
3.	Large Size Shop	As Per Prescribed fees, decided by ULB

10. Temporary Permissions.—Fee structure for permission for Shooting of the Films/ Documentaries in Nagar Panchayat Bhota:

Big budget Films/Movies	**Medium budget Films/Movies**	**Low budget Films/Movies/TV Serials/Musical Albums/Advertisements**
(Films above Rs. 75.00 Crores)	(Films above Rs. 5.00 Cr. upto Rs. 75.00 Cr.)	(Films upto Rs. 5.00 Crores)
Rs. 70,000/-per day	Rs. 30,000/- per day	Rs. 15,000/- per day

11. Conditions for Grant of License:

i. Trade registration with the Labour & Employment Department, Government of Himachal Pradesh, is a mandatory prerequisite for applying for a Trade License from Urban Local Bodies (ULBs).
ii. The License shall not be valid for any other purpose, except for the items/articles for which it is granted under these Bye-laws.
iii. The permission shall, unless specified otherwise in the license, be valid in the entire NP Bhota limits, subject to such conditions as may be imposed by the Secretary.
iv. The owner/occupier of the premises shall have to produce the license before the Inspector or the licensing officer at any point of time as may be ordered by them.
v. The Secretary shall have a right to impose or alter any of conditions in the license as may be deemed fit by him/her under the provisions of Section 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.
vi. Additional Permissions for any article/trade mentioned in annexure I may be added by the Secretary as and when deemed necessary.
vii. The applicant shall submit a self-declaration regarding information submitted by him/her about the premises to be used for business/trade *viz*. type of business,

area, approval of map and nature of property i.e commercial and domestic etc. to be true to the best of his knowledge and belief.

viii. The licensee shall maintain proper record of the articles kept for sale or storage and trade activities being performed in the premises as may be required by the Licensing Officer. Further the licensee shall comply with all the directions and instructions issued to him by the Secretary or the Licensing Officer from time to time.

ix. The licensee will ensure timely payment of Municipal dues

x. Time period for issue of License: The license shall be issued as per the timelines notified/specified for this service under Public Service Guarantee Act,2011.

xi. Subject to these Byelaws, license to any person, who applies online to the Secretary or Licensing Officer in this behalf and tenders the prescribed fee shall be granted by that officer, unless for reasons to be recorded in writing by him.

xii. The Licensee shall be liable to pay transfer, modification, closure charges as prescribed by ULB per license at the time of effecting transfer of License, modification of license, closure of license.

xiii. The licensee shall abide by the terms and conditions of the license and the license shall be displayed at the convenient/ conspicuous place /reception of the premises.

xiv. The Inspector or inspecting staff concerned shall have a right to enter and inspect the premises and the licensee shall provide necessary assistance to the inspecting staff at the time of inspection of licensed premises.

xv. The licensee shall not make any encroachment/ overhanging projection on public streets and Municipal drains in any manner.

12. Denials of License:

1. The license shall not be granted:

   i. to a person suffering from any loathsome infections or contagious diseases:

   ii. to a person convicted for unlawful sale or storage of any articles mentioned in Section 125, 126, 127, 128 read with section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

   iii. to a person who has been found to have habitually committed the breach of these Bye-laws or the terms of the license.

   iv. to a person not below the age of 18 years.

13. Offenses and Penalties:

(i) In addition to the penalty as provided under Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 any person in possession of the premises found violating any of the provisions of these Byelaws shall in the first instance be liable for a penalty of Rs. 500/- only and suspension of license for a period of one month and for repetition of the same violation within three months be liable for penalty of Rs. 5000/- only and permanent Cancellation/withdrawal of license.

(ii) If the information submitted by the applicant under self-declaration is found to be false, he/she shall be liable for the penalty of ten times of the license fee and his/her license will be cancelled.

(iii) In case of repeated violations, the concerned person, owner, or occupier, as the case shall be liable for cancellation/withdrawal of License which can only be restored on receiving written undertaking accompanied by surety from the person violating these Bye-laws subject to the satisfaction of the Commissioner/ Executive Officer/ Secretary.

14. Penalization for Default on Municipal Services:

In the interest of maintaining compliance and to ensure the seamless provision of municipal services, the Nagar Panchayat Bhota hereby enacts the following:

(1) Interlinked Service Compliance:

All Municipal Services, including but not limited to Garbage Collection, Property Tax, Electricity, Water, and Sewerage, provided under the jurisdiction of the Nagar Panchayat Bhota and regulated by separate authorities, shall be interlinked for compliance purposes.

(2) Cross- Service Penalization:

Any resident or entity found to be in violation of the regulations pertaining to any one of the municipal services shall be subject to cross-municipal service penalization. This includes but is not limited to:

i. Suspension or limitation of other municipal services

ii. Imposition of additional fines and penalties across all utilities

iii. Notification and reporting of violations across regulatory authorities for coordinated enforcement.

(3) Repercussions for Trade License service:

Municipal Service Defaulters will not be allowed to apply/ renew/ modify/ close trade licenses till the violation is resolved.

(4) Notification and Appeal:

Prior to the enforcement of cross-municipal penalties, the affected party shall receive a written notice detailing the nature of the violation, the affected services, and the penalties to be imposed.

The affected party shall have the right to appeal against the penalization within a stipulated period as prescribed by the Nagar Panchayat Bhota.

(5) Inter-Authority Coordination:

Regulatory authorities governing each municipal service shall establish a coordination mechanism to ensure the efficient and timely exchange of information regarding violations and enforcement actions.

Regular meetings shall be held between regulatory authorities to review compliance status and address issues related to cross-municipal service penalization.

15. Zone Categorization:

Nagar Panchayat Bhota should consider categorizing trade license fees within their respective ULBs based on the zone in which the trading unit is located. Zones can be defined as outlined in Annexure II.

These Bye-laws shall come into effect immediately upon its inclusion in the Nagar Panchayat Bhota Bye-laws. The Municipality shall periodically review and update the cross-municipal penalization framework to address emerging challenges and ensure fair and effective enforcement.

By order,

Secretary,
Nagar Panchayat Bhota ,
Distt-Hamirpur (H.P).

Trade Sector Type and Trade Categorizations Annexure I

Sl. No.	Sector	Trade	Sub Categorization	Remarks	Trade Fees INR (Suggestive) NP (1Yr)
1.	Agriculture	Farm Machinery Sale	NA	NA	100
2.	Agriculture	Agriculture Use Products Retails	Sprays (insecticide, Fungicide, disinfectants, Fertilizers, Lime, Urea)	Additional regulatory approvals from other regulatory bodies may be required	100
3.	Agriculture	Nursery	NA	Additional regulatory approvals from other regulatory bodies may be required	100
4.	Agriculture	Florists	NA	NA	100
5.	Agriculture	Agriculture Produce Wholesale	NA	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	100

6.	Agriculture	Agriculture Produce Retails	NA	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	100
7.	Agriculture	Farm Machinery Repair	NA	NA	100
8.	Automotive	Tire Puncture Repair	NA	NA	100
9.	Automotive	Tire Sale, Repair & Services	NA	NA	100
10.	Automotive	Four Wheeler/Two Wheeler Sales	NA	NA	100
11.	Automotive	Four Wheeler/Two Wheeler Repair	NA	NA	100
12.	Automotive	Four Wheeler/Two Wheeler Sale, Repair & Spare Part	NA	NA	100
13.	Automotive	Four Wheeler/Two Wheeler Repair & Spare Parts	NA	NA	100
14.	Banking Finance Services Insurance (BFSI)	Banking	Commercial Bank	NA	5000
15.	Banking Finance Services Insurance (BFSI)	Financial Services	NA	NA	5000
16.	Banking Finance Services Insurance (BFSI)	Insurance	General Insurance	NA	5000
17.	Banking Finance Services Insurance (BFSI)	Insurance	Medical Insurance	NA	5000
18.	Banking Finance Services Insurance (BFSI)	Insurance	Life Insurance	NA	5000

19.	Banking Finance Services Insurance (BFSI)	Insurance	Multiple Insurance	NA	5000
20.	Common Trades	Shops & Merchants	Small Stores	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	100
21.	Common Trades	Shops & Merchants	Super Stores (A superstore, may typically refers to a large retail establishment that sells a wide variety of goods. These goods can include groceries, clothing, electronics, household items, and more. Super stores are usually larger than regular small retail stores and aim to offer a one-stop shopping experience.)	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	100
22.	Common Trades	Clothes & Apparel	Laundry shop and Dry cleaners	NA	100
23.	Common Trades	Clothes & Apparel	Tailoring shop.	NA	100
24.	Common Trades	Media, Entertainment & Advertisement	Cinematograph of films/ Photostudio/ Photo Studio Labs	Per Day Permission for shooting in ULB Location is different from Trade License Fees	100
25.	Common Trades	Media, Entertainment & Advertisement	Theaters/ Multiplexes	NA	5000
26.	Common Trades	Printing & Publishing	Photocopy Shop Cyclostyling, Typing and Printing machines	NA	100

27.	Common Trades	Printing & Publishing	Printing Press	NA	100
28.	Common Trades	Printing & Publishing	Book Publisher/ Book Retailer & Stationery	NA	100
29.	Common Trades	Printing & Publishing	Paper in pressed bales or loose or in reams	NA	100
30.	Common Trades	Printing & Publishing	Paper cutting, Binding	NA	100
31.	Common Trades	Printing & Publishing	Stationery, Ink for printing, writing, stamping, etc.	NA	100
32.	Common Trades	Printing & Publishing	Flex Printing, Hoardings printing	NA	100
33.	Common Trades	Food & Beverage	Vegetable & Fruit	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	200
34.	Common Trades	Food & Beverage	Sweetmeats & confectionery	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	200
35.	Common Trades	Food & Beverage	Aerated Drinks (Non- Alchoholic)	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	100
36.	Common Trades	Food & Beverage	Groceries (Including Fast Moving Consumer Goods)	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	100

37.	Common Trades	Clothes & Apparel	Cloth or clothes of cotton, wool, silk, art silk, organic fibers etc.	NA	100
38.	Common Trades	Clothes & Apparel	Cloths wholesale	NA	100
39.	Common Trades	Clothes & Apparel	Dyeing/ Bleaching or printing of, Cloth, Yarns	NA	100
40.	Common Trades	Clothes & Apparel	Oil Cloth	NA	100
41.	Common Trades	Clothes & Apparel	Shoes including leather, PVC Canvas rubber and plastic shoes	NA	100
42.	Common Trades	Healthcare, Beauty & Wellness	Clinics / Healthcare Service / Labs/ Hospitals	NA	200
43.	Common Trades	Healthcare, Beauty & Wellness	Pharmaceutical or medical goods/ Chemists	NA	200
44.	Common Trades	Healthcare, Beauty & Wellness	Hair Dressing Saloon or a Barber's shop	NA	100
45.	Common Trades	Healthcare, Beauty & Wellness	Cosmetics (Retails)	NA	100
46.	Common Trades	Healthcare, Beauty & Wellness	Spa & Wellness	NA	100
47.	Common Trades	Healthcare, Beauty & Wellness	Beauty Culture & Hair Dressing	NA	100
48.	Common Trades	Healthcare, Beauty & Wellness	Naturopathy	NA	100
49.	Common Trades	Electronics & Electricals	Electronics & Electricals (Sales)	NA	100
50.	Common Trades	Electronics & Electricals	Mobile Sales	NA	100
51.	Common Trades	Electronics & Electricals	Mobile Sales & Repairs	NA	100
52.	Common Trades	Electronics & Electricals	Watch Sales & Repair	NA	100
53.	Common Trades	Electronics & Electricals	Electronic items sales & Repairs	NA	100
54.	Common Trades	Electronics & Electricals	Electronics-Home appliances (Sales & Repairs)	NA	100
55.	Common Trades	Shops & Merchants	Private Offices	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	500

56.	Common Trades	Shops & Merchants	E-Commerce	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	500
57.	Common Trades	Food & Beverage	Cloud Kitchen	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	200
58.	Common Trades	Food & Beverage	Food Processing Plants	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority Industry Department & other Regulatory Licenses may also be applicable	500
59.	Common Trades	Healthcare, Beauty & Wellness	Gym & Fitness center, Yoga & Meditation centers	NA	100
60.	Common Trades	Healthcare, Beauty & Wellness	Wellness products/ supplements (Retail).	NA	100
61.	Common Trades	Media, Entertainment & Advertisement	Digital Advertisements & Digital Hoardings	NA	500
62.	Common Trades	Media, Entertainment & Advertisement	Event Management	NA	500
63.	Common Trades	Shops & Merchants	Pet Shops & Pet Food	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	500

64.	Common Trades	Scrap Management	Old paper or waste paper including old newspapers, periodicals magazines, etc.	NA	100
65.	Common Trades	Scrap Management	Metal, Plastic, Glass, Paper waste	NA	100
66.	Common Trades	Scrap Management	Silk waste or silk yarn waste, art silk waste or art silk yarn waste	NA	100
67.	Common Trades	Scrap Management	Cotton refuse or waste or cotton yarn refuse or waste	NA	100
68.	Common Trades	Scrap Management	Organic Waste	NA	100.
69.	Education, Skills & Development	Private Educational Institutions	Upto 100 Students	NA	2500
70.	Education, Skills & Development	Private Educational Institutions	More than 100 Students	NA	3500
71.	Education, Skills & Development	Private Day Cares / Creche	Upto 50 Students	NA	1500
72.	Education, Skills & Development	Private Day Cares / Creche	More than 50 Students	NA	2000.
73.	Education, Skills & Development	Tution Centers/ Coaching Classes	Upto 100 Students	NA	1500
74.	Education, Skills & Development	Tution Centers/ Coaching Classes	More than 100 Students	NA	3500
75.	Fairs, Festivals, Events, and Exhibitions (Temporary Licenses Only)	Food Vans/ Food Stalls	Food Vans/ Food Stalls	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	100
76.	Fairs, Festivals, Events, and Exhibitions (Temporary Licenses Only)	Book Stalls	Book Stalls	NA	100

77.	Fairs, Festivals, Events, and Exhibitions (Temporary Licenses Only)	Handicraft Stalls	Handicraft Stalls	NA	100
78.	Fairs, Festivals, Events, and Exhibitions (Temporary Licenses Only)	Handloom Stalls	Handloom Stalls	NA	100.
79.	Fairs, Festivals, Events, and Exhibitions (Temporary Licenses Only)	Other Stalls/ Fun Fairs	Other Stalls/ Fun Fairs	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	100
80.	Handloom & Handicrafts	Handloom	Silk Weaves	NA	100
81.	Handloom & Handicrafts	Handloom	Cotton Weaves	NA	100
82.	Handloom & Handicrafts	Handloom	Woolen Weaves	NA	100
83.	Handloom & Handicrafts	Handloom	Linen Weaves	NA	100
84.	Handloom & Handicrafts	Handloom	Blended Weaves	NA	100
85.	Handloom & Handicrafts	Handloom	Other Weaves	NA	100
86.	Handloom & Handicrafts	Handicrafts	Pottery & Ceramics	NA	100
87.	Handloom & Handicrafts	Handicrafts	Textile Crafts	NA	100
88.	Handloom & Handicrafts	Handicrafts	Wood Crafts	NA	100
89.	Handloom & Handicrafts	Handicrafts	Metal Crafts	NA	100
90.	Handloom & Handicrafts	Handicrafts	Basketry & Weaving	NA	100
91.	Handloom & Handicrafts	Handicrafts	Leather Crafts/ Cobbler	NA	100
92.	Handloom & Handicrafts	Handicrafts	Stone Crafts	NA	100
93.	Handloom & Handicrafts	Handicrafts	Paper Mache	NA	100

94.	Handloom & Handicrafts	Handicrafts	Glass Crafts	NA	100
95.	IT/ ITES Services	Call Centers	BPOs, KPOs, Helpdesks, Customer Care	NA	500
96.	IT/ ITES Services	Computer Hardware & Peripherals	Sales	NA	100
97.	IT/ ITES Services	Computer Hardware & Peripherals	Repairs	NA	100
98.	IT/ ITES Services	Digital Services	Software/ Website/ App /Social Media Marketing	NA	100
99.	Luxury Goods	Gems & Jewellery	Precious metals (Refining or Recovery)	Gold, Silver, Platinum	100
100.	Luxury Goods	Gems & Jewellery	Goldsmithy	Gold & Gemstones	100
101.	Luxury Goods	Gems & Jewellery	Silversmithy		100
102.	Luxury Goods	Gems & Jewellery	Precious Metals/ Precious Stones/ Pearls Jwellers (sales)	Gold, Silver, Platinum	100
103.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Leather & Skins	Tanning, pressing or packing Hides or skins, whether raw or dried	NA	500
104.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Leather & Skins	Leather, leather cloth, raxine cloth and water proof cloth	NA	1500
105.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Leather & Skins	Leather goods manufacturing	NA	1500
106.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Leather & Skins	Celluloid or celluloid goods	NA	1500
107.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Metal Works (Non-Precious Metals Only)	Metal Casting	NA	1500
108.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Metal Works (Non-Precious Metals Only)	Litho Press	NA	1500

109.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Metal Works (Non-Precious Metals Only)	Blacksmithy	NA	1500
110.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Metal Works (Non-Precious Metals Only)	Coppersmithy	NA	1500
111.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Metal Works (Non-Precious Metals Only)	Electroplating	NA	1500
112.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Metal Works (Non-Precious Metals Only)	Metal-Cutting, Treating, Drilling, Assembly (ferrous or non-ferrous or antimony, excluding precious metal)	NA	1500
113.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Metal Works (Non-Precious Metals Only)	Tinsmity	NA	1500.
114.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Clothes Manufacturing	Power Looms	NA	1500
115.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Metal Works (Non-Precious Metals Only)	Welding of metal by electric, gas or any process whatsoever	NA	500
116.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Timber & Woodworks	Timber, Bamboos Sawmill	NA	500
117.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Timber & Woodworks	Plywood	NA	500
118.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Timber & Woodworks	Sandalwood	NA	500
119.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Timber & Woodworks	Manufacturing & Sales of Wooden furniture and plywood / sandal wood	NA	500

120.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Timber & Woodworks	Manufacturing & Sales of Cardboard boxes, barrels, khokas or other articles of wood or plywood or sandal wood	NA	500
121.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Infrastructure & Construction	Hardware Store, Sanitary-ware, and other articles made of iron, iron-sheets, pipes, iron angles and G.I. Pipes etc.	NA	500
122.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Infrastructure & Construction	Cement	NA	500
123.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Infrastructure & Construction	Charcoal	NA	500.
124.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Infrastructure & Construction	Glass bevelling, Glass cutting, Glass Polishing	NA	500
125.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Infrastructure & Construction	Marble, stone cutting, grinding, dressing or polishing	NA	500
126.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Infrastructure & Construction	Road Construction, (Bitumen, Tar, ditch, dammar, Ral)	NA	500
127.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Infrastructure & Construction	Cement concrete designs or models. Bricks or tiles by mechanical power/ hand power	NA	500
128.	Manufacturing, Industries and Industrial Materials	Infrastructure & Construction	Paints, Varnishes, Lacquer	NA	500
129.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Blood Banks	Blood Banks	Additional regulatory approvals from other regulatory bodies may be required	500

130.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Bones, bone meal or bone powder	Bones, bone meal or bone powder	Additional regulatory approvals from other regulatory bodies may be required	500
131.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Chemicals & Gases	Compound gas, such as oxygen gas, hydrogen gas, nitrogen gas, carbondioxide gas, sulpher dioxide gas, chlorine gas, acetyalom gas etc.	Additional regulatory approvals from other regulatory bodies may be required	500
132.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Chemicals & Gases	Plastic Goods (Manufacture)	Additional regulatory approvals from other regulatory bodies may be required	500
133.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Chemicals & Gases	Rubber Goods (Manufacture)	Additional regulatory approvals from other regulatory bodies may be required	500
134.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Chemicals & Gases	Chlorate mixture, Chemical liquid, Chemicals (non-liquid), Phosphorous, Saltpetre, Sulphur, Insecticide & Disinfectants	Additional regulatory approvals from other regulatory bodies may be required	500
135.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Petroleum, other than dangerous petroleum, as defined in the Petroleum Act, 1934	NA	Additional regulatory approvals from other regulatory bodies may be required	500
136.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	CNG Pump & Electric Charging Station	NA	Additional regulatory approvals from other regulatory bodies may be required	500
137.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Liquified Petroleum Gas	NA	Additional regulatory approvals from other regulatory bodies may be required	500

138.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Prohibited Substances (Tobacco & Tobacco Products)	Trading in Bidi / Bidi leaves	License under COTPA is mandatory, and Trade License from ULB	500
139.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Prohibited Substances (Tobacco & Tobacco Products)	Bidis (indigenous cigarettes) snuff, cigars or cigarettes	License under COTPA is mandatory, and Trade License from ULB	500
140.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Alcohol	Liquor Stores Wholesale/ retail	Permission from Excise is mandatory and Trade license from ULB	500
141.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Alcohol Manufacture	Brewery / Micro-Brewery	Permission from Excise is mandatory and Trade license from ULB	500
142.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Flameables & Explosives	Detonaters, Dynamite, Fulminate, Fulminate of mercury, Fulminate of silver,Golatino, Golignite, Gun-cotton., Gun-powder	Other Regulatory Permissions may be required	500
143.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Flameables & Explosives	Fire-works wholesale/ retail	Other Regulatory Permissions may be required	500
144.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Flameables & Explosives	Mathylated spirit, denatured spirit or french polish	Other Regulatory Permissions may be required	500
145.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Flameables & Explosives	Nitro-cellulose, Nitro-compound, Nitro-glycerine, Nitro-mixture, Blasting powder	Other Regulatory Permissions may be required	500
146.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Flameables & Explosives	Matches for lighting (including Bengal matches)	Other Regulatory Permissions may be required	500

147.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Meat Shop	Chicken & Fish	NA	200
148.	Petroleum, Chemicals & Other Regulated Products	Meat Shop	Mutton & Other Raw meats	NA	200
149.	Tourism & Hospitality	Restaurants	Pub, Restro,Bar, Fine Dine, Breweries	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	500
150.	Tourism & Hospitality	Restaurants	Eateries (Food Production & or Distribution)/ Eateries (Food Distribution only)	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	300
151.	Tourism & Hospitality	Hotels	Upto 3 Star facility.	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	500
152.	Tourism & Hospitality	Hotels	4 Star facility	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	1000
153.	Tourism & Hospitality	Hotels	5 Star facility	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	2000

154.	Tourism & Hospitality	Homestays / Bread n Breakfasts / Paying Guest Facility / Hostels	Upto 10 Rooms,	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	300
155.	Tourism & Hospitality	Homestays / Bread n Breakfasts / Paying Guest Facility / Hostels	More than 10 Rooms	If PFA goods are sold, the licensee will have to apply for PFA license separately from concerned regulatory authority	500
156.	Transportation & Logistics	Transportation	Transportation	NA	500
157.	Transportation & Logistics	Warehouses	Warehouses	NA	500
158.	Transportation & Logistics	Transport & Warehouse	Transport & Warehouse	NA	500.
159.	Transportation & Logistics	Courier Services	Courier Services	NA	100

Annexure - II

Zone Categorization Table

Sl. No.	Zone Name	Zone Definition	Multiplication Factor (X)
1.	A	As per priority Zones defined in Property Tax under the Municipal Property Tax Bye-Laws.	3
2.	B	As per priority Zones defined in Property Tax under the Municipal Property Tax Bye-Laws.	2.5
3.	C	As per priority Zones defined in Property Tax under the Municipal Property Tax Bye-Laws.	2.0
4.	D	As per priority Zones defined in Property Tax under the Municipal Property Tax Bye-Laws.	1.5
5.	E	As per priority Zones defined in Property Tax under the Municipal Property Tax Bye-Laws.	1.0

**Trades Operating in priority Zone A should have Higher value than zone B and So on.

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 10 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024—11821-25.—क्योंकि विभाग में जिला काँगड़ा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला कांगड़ा को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला कांगड़ा, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला कांगड़ा , के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला कांगड़ा, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णितनई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 मेंवर्णित ग्राम सभा मेंशेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड सुराणी						
1.	डोहाग देहरिया	**1. बन्ड** **2. सलेहड़** 3. कत्यालू **4 . काला पानी** 5. घरूं **6. ठाना** 7. दोहग **8. रिज़र्व जंगल सिम्बल खाला** **9. रिज़र्व जंगल काला पानी**	बाबा पंजा	1. बन्ड 2. सलेहड़ 3. काला पानी 4. ठाना 5. रिज़र्व जंगल सिम्बल खाला 6. रिज़र्व जंगल काला पानी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा डोहाग देहरिया में रहेंगे।	
2.	अम्ब पठियार	1. उचेहड़ **2. डोली** 3. पठियार **4. सलेतर** **5. काली धार अम्ब** **6. रिज़र्व जंगल अम्ब**	अम्ब सलेतर	1. डोली **2.** सलेतर (आंशिक) 3. काली धार अम्ब 4. रिज़र्व जंगल अम्ब	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा अम्ब पठियार में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 10 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-11864-68.—क्योंकि विभाग में जिला मंडी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मंडी के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला मंडी को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मंडी , को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला मंडी , के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला मंडी , की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों केनाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड गोहर						
1.	शिल्हूं	1. रजोट 2. बाढ़ू 3. डयोला 4. शिल्हूं 5. DPF लटोगली 6. DPF नन्दगढ़ 7. नेन्धल	बाढ़ू	1. रजोट 2. बाढ़ू 3. डयोला 4. DPF लटोगली 5. नेन्धल	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा शिल्हूं में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 10 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-11870.—क्योंकि विभाग में जिला किन्नौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला किन्नौर के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला किन्नौर को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला किन्नौर, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला किन्नौर, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला किन्नौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड निचार						
1.	रामणी	1. तेपानुग 2. जानी-1 3. जानी- 2 4. रामणी-1 5. रामणी-2	जानी	1. तेपानुग 2. जानी-1 3. जानी- 2	ग्राम सभा रामणी के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा रामणी में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

———————

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 14 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-12366-70.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-11859-63, दिनांक 10-03-2026 के अन्तर्गत जिला बिलासपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला बिलासपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित निमन्लिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	**ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम**	**ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं04 में वर्णित ग्राम / ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है**	**कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड घुमारवीं						
1.	तियूनखास	1. सलोन मोंडल 2. तियून खास 3. मेहरन	1. तियून खास (आंशिक) हदबस्त नं0 425. खसरा नं0 –211, 212, 213, 215, 217, 219, 278/214, 311/ 279/214, 342 /228/218, 281/224, 345/ 313/ 224, 221, 222, 223. किता 16	कोठी	1. कोठी 2. पान्याला 3. रोपड़ी 4. बड्डू 5. सोई 6. तियून खास (आंशिक) हदबस्त नं0 425. खसरा नं0 –211, 212, 213, 215, 217, 219, 278/214, 311/ 279/214, 342/228/ 218, 281/224, 345/313/ 224, 221, 222, 223. किता 16.	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्रामों व खसरा नं0 को छोड़कर कोष्ट संख्या 3 के शेष ग्राम व खसरा नं0, ग्राम सभा "तियूनखास" में रहेंगे ।

2.	लुहारवीं	**1. नैन** 2. लुहारवीं 3. रछेडा 4. बड़ोटा 5. सिल्ह 6. बलौर 7. मतवाना 8. गैहरा	1. नैन (आंशिक) (पलांगरी नैनतलाई) खसरा नं0 1, 4, 5, 6, 14, 17, 20, 22,b23, 25, 26, 150 हदवस्त नं0 425, 430, 431 व 370	तियून खास	1. तियूनखास 2. सलोन 3. मोहंडल 4. मेहरन 5. नैन (आंशिक) (पलांगरी नैन तलाई) खसरा नं01, 4, 5, 6, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 150 हदबस्त नं04 25, 430, 431 व 370	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्रामों व खसरा न० को छोड़कर कोष्ट संख्या 3 के शेष ग्राम व खसरा नं0, ग्राम सभा "लुहारवीं" में रहेंगे।

आदेश द्वारा]

सचिव (पंचायती राज) ।

———————

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 14 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-12360-65.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-11849-53, दिनांक 10-03-2026 द्वारा जिला बिलासपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला बिलासपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर उपायुक्त, जिला बिलासपुर द्वारा विचार किया गया तथा तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर, नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतू, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

1. विकास खंड घुमारवीं						
1.	गाहर	1. गाहर 2. मुहाना 3. पदयान **4. पदोहड़ी** **5. देहलवी** **6. बाह** **7. चडवाली** **8. द्राहल** **9. खस्वी** 10. **केट** 11. जरोडा 12. स्वारा 13. भटेड़	बाह	1. पदोहड़ी 2. देहलवी 3. बाह 4. चडवाली 5. द्राहल 6. खस्वी 7. केट	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा गाहर में रहेंगे।	
2. विकास खंड झंडूता						
2.	बैहना जट्टा	1. बैहना जट्टा 2. कल्लर 3. कोठी **4. बैरी दडोला** **5. लधेड़ा** **6. सोपता** 7. **बेरला**	बैरी दडोला	1. बैरी दडोला 2. लधेड़ा 3. सोपता 4. बेरला	ग्राम सभा बैहना जट्टा के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बैहना जट्टा में रहेंगे।	

आदेश द्वारा]

सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, दिनांक 7 मार्च, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-11431-35.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)3/2024-6997-7013, 7066-70,7076 व 7077 दिनांक 28-02-2026 द्वारा जिला कांगड़ा में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर उपायुक्त, जिला कांगड़ा द्वारा विचार किया गया तथा तद्नुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर, नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड पालमपुर						
1.	डाढ़ झिकला	**1. डाढ़ झिकला** 2. खटेहड़ **3. टम्बर**	टम्बर (मुख्यावास टम्बर)	1. टम्बर 2. डाढ़ झिकला (आंशिक) खसरा नं0 544 से 659, 733 से 762, 859 से 988, 999 से 1010, 1111 से 1119, 1020 से 1023, 1061 से 1085.	ग्राम सभा डाढ़ झिकला के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों व खसरा नं0 को छोड़कर अन्य सभी ग्रामों व खसरा नं0, ग्रामसभा डाढ़ झिकला में रहेंगे।	
2. विकास खंड पंचरुखी						
2.	गदियाड़ा	1. बालू 2. गदियाड़ा 3. बरोहल **4. बगेहड़** **5. मझैनु** **6. समरियाल**	मझैनु	1. बगेहड़ 2. समरियाल 3. मझैनु (आंशिक) खसरा न०1 से 209, 212, 214, 215 से 236, 239, 244 से 259, 261, 262, 266 से 729, 732 से 742, 744 से 824 (कुल खसरा नम्बर 808)	ग्राम सभा गदियाड़ा के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों व खसरा नं0 को छोड़कर अन्य सभी ग्रामों व खसरा नं0, ग्राम सभा गदियाड़ा में रहेंगे।	
3.	लदोह	**1. लदोह** **2. प्रनोह** 3. ठाकुरद्वारा	प्रनोह	1. प्रनोह 2. लदोह (आंशिक)खसरा नम्बर 1 से 583 (कुल खसरा नम्बर 583)	ग्राम सभा लदोह के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों व खसरा नं0को छोड़कर अन्य सभी ग्रामों व खसरा नं0, ग्राम सभा लदोह में रहेंगे।	

3. विकास खंड देहरा						
4.	नंदपुर भटोली	**1. नन्दपुर** 2. घमीरपुर **3. भियाल** **4. घनबन**	नंदपुर (मुख्यावास नंदपुर)	1. भियाल 2. घनबन 3. नन्दपुर (आंशिक) खसरा नं01 से 645, 651 से 689, 705 से 748, 1507 से 1703	ग्राम सभा नंदपुर भटोली के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों व खसरा नं0 को छोड़कर अन्य सभी ग्रामों व खसरा नं0, ग्राम सभा नंदपुर भटोली में रहेंगे।	

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, दिनांक 10 मार्च, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-11859-63.—क्योंकि विभाग में, जिला बिलासपुर की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला बिलासपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं ;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से तीन **(3)** दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला बिलासपुर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगें ।

राज्य सरकार, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना इस सम्बन्ध में उपायुक्त, जिला बिलासपुर की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

क्र० सं०	**ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों / ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम**	**ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम / ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है**	**कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7

1. विकास खंड घुमारवीं						
1.	तियून खास	1. सलोन मोंडल 2. तियून खास 3. मेहरन	1. तियून खास (आंशिक) हदवस्त नं0 425. खसरा नं0–211, 212, 213, 215, 217, 219, 278/214, 311/279/214, 342/228/218, 281/224, 345/313/224, 221, 222, 223. कित्ता 16.	कोठी	1. कोठी 2. पान्याला 3. रोपड़ी 4. बड्डू 5. सोई 6. तियून खास (आंशिक) हदवस्त नं0 425. खसरा नं0–211, 212, 213, 215, 217, 219, 278/214, 311/279/214, 342/228/218, 281/224, 345/313/224, 221, 222, 223. कित्ता 16.	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्रामों व खसरा नं0 को छोड़कर कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्रामों व खसरा नं0, ग्राम सभा "तियून खास" में रहेंगे ।
2.	लुहारवीं	**1. नैन** 2. लुहारवीं 3. रछेडा 4. बड़ोटा 5. सिल्ह 6. बलौर 7. मतवाना 8. गैहरा	1. नैन (आंशिक) (पलांगरी नैन तलाई) खसरा नं01, 4, 5 ,6, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 150 हदवस्त नं0 425 430, 431 व 370	तियून खास	1. तियूनखास 2. सलोन 3. मोहंडल 4. मेहरन 5. नैन (आंशिक) (पलांगरी नैन तलाई) खसरा नं01, 4, 5, 6, 14,17, 20, 22, 23, 25, 26, 150 हदवस्त न० 425, 430, 431 व 370	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्रामों व खसरा नं0 को छोड़कर कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्रामों व खसरा नं0, ग्राम सभा "लुहारवीं" में रहेंगे ।

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, दिनांक 10 मार्च, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-11849-53.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)3/2024-11791-97, दिनांक 10-03-2026 का अधिलंघन करते हुए, जिला बिलासपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला बिलासपुर को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला बिलासपुर, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला बिलासपुर, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त, जिला बिलासपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड घुमारवीं						
1.	गाहर	1. गाहर 2. मुहाना 3. पदयान **4. पदोहड़ी** **5. देहलवी** **6. बाह** **7. चडवाली** **8. द्राहल** **9. खस्वी** **10. केट** 11. जरोडा 12. स्वारा 13. भटेड़	बाह	1. पदोहड़ी 2. देहलवी 3. बाह 4. चडवाली 5. द्राहल 6. खस्वी 7. केट	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्रामों, ग्राम सभा गाहर में रहेंगे।	
2. विकास खंड झंडूता						
2.	बैहना जट्टा	1. बैहना जट्टा 2. कल्लर 3. कोठी 4. बैरी दडोला 5. लधेड़ा 6. सोपता 7. बेरला	बैरी दडोला	1. बैरी दडोला 2. लधेड़ा 3. सोपता 4. बेरला	ग्राम सभा बैहना जट्टा के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्रामों, ग्राम सभा बैहना जट्टा में रहेंगे।	

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, दिनांक 10 मार्च, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024- 11798-803.—क्योंकि विभाग में जिला सोलन के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला सोलन को, इस सम्बन्ध में सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सोलन, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला सोलन , के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला सोलन , की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम।**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण।**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड सोलन						
1.	सलोगड़ा	1. ऐन्डा 2. एंडी 3. कथोग 4. गुठाह 5. गण की सेर **6. घलूत खुर्द** **7. घलूत कलां** 8. चरजेड़ा 9. चोखला **10. जबलाटी** **11. टिककर** **12. ढलेण** 13. धार **14. नेरी** 15. फशकणा 16. बझलोग 17. बेल 18. मढान्जी **19. मनसार** 20. शाम्बर 21. सिहावला 22. सलोगड़ा	मनसार	1. घलूत खुर्द 2. घलूत कलां 3. जबलाटी 4. टिककर 5. ढलेण 6. नेरी 7. मनसार 8. हरठ 9. जोखडी 10. मथिया	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सलोगड़ा में रहेंगे।	

		23. हरठ **24. जोखडी** **25. मथिया** 26. फलोग				
2. विकास खंड कंडाघाट						
2.	सतडोल	1. कोट 2. काशीपटा 3. सतडोल 4. शील्लू 5. बिल्ली 6. पलास्टा पंजडोल 7. दवलोग **8. बन्दराओ** **9. दिवी** **10 शलाह ब्रह्मणा** **11.शलाह कोलिया** **12. कुम्हाली** **13.घाट कुम्हाला** **14. चकनाहट** **15. बांजणी** **16. पैडी**	घाट कुम्हाला	1. बन्दराओ 2. दिवी 3. शलाह ब्रह्मणा 4. शलाह कोलिया 5. कुम्हाली 6. घाट कुम्हाला 7. चकनाहट 8. बांजणी 9. पैडी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सतडोल में रहेंगे।	

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज)।

———

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, दिनांक 10 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024- 11782-90.—क्योंकि विभाग में जिला ऊना के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला ऊना को, इस सम्बन्ध में सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला ऊना, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला ऊना, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला ऊना, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड बंगाणा						
1.	थाना कलां	1. थाना कलां 2. हीरा नगर 3. मझेड **4. थाना खास** **5. पनेड** **6. घुगन ककराना**	घुगन ककराना	1. थाना खास 2. पनेड 3. घुगन ककराना	ग्राम सभा थाना कलां के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा थाना कलां में रहेंगे।	
2.	टीहरा	**1. टाडा उपरला** **2. टाडा झिकला** **3. मलोनिया सहाल** **4. करवालिया सहाल** 5. टीहरा 6. तलेहडा	टाडा	1. टाडा उपरला 2. टाडा झिकला 3. मलोनिया सहाल 4. करवालिया सहाल	ग्राम सभा टीहरा के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा टीहरा में रहेंगे।	
3.	मंदली	1. अघलौर 2. दुलेहडी राजपूता 3. मढान 4. सासन 5. थानाखुर्द 6. मंदली 7. दुलेहडी ब्रह्मणा 8. चागरेडी 9. बिहडूकलां 10. बिहडूखुर्द 11. दैयण **12. नुरगाडी** **13. नथेडी** **14. वादगार** 15. **डोहक**	डोहक	1. नुरगाडी 2. नथेडी 3. वादगार 4. डोहक	ग्राम सभा मंदली के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा मंदली में रहेंगे।	
2. विकास खंड अम्ब						
4.	हम्बोली	1. हम्बोली उपरली 2. हम्बोली निचली **3. बहेड़ी** **4. सेरी**	बहेड़ी	1. बहेड़ी 2. सेरी	ग्राम सभा हम्बोली के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा हम्बोली में रहेंगे।	
5.	चौआर	1. चौआर 2. टकोली	कोहाड़छन	1. कोहाड़छन	ग्राम सभा चौआर के कोष्ठ संख्या 5	

		3. कोहाड़छन			में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा चौआर में रहेंगे।	

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज)।

———

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, दिनांक 10 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024- 11804-07.—क्योंकि विभाग में जिला चंबा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला चंबा के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्तजिला चंबा को, इस सम्बन्ध में सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला चंबा, को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला चंबा, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/ स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला चंबा, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड मैहला						
1.	ब्रेही	1. सकराल 2. सादून 3. तुर **4. अंदरौद** 5. सुकराल जंगल 6. बलेनी धार 7. बरही	गदियाडा	1. अंदरौद	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा ब्रेही में रहेंगे।	

		जंगल 8. दरकुंड जंगल 9. कनकोट धार 10. गनून जंगल				

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, दिनांक 10 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-11808-12.—क्योंकि विभाग में जिला लाहौल स्पिति के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला लाहौल स्पिति के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला लाहौल स्पिति को, इस सम्बन्ध में सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला लाहौल स्पिति, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला लाहौल स्पिति, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला लाहौल स्पिति, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा कानाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णितनई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 मेंवर्णित ग्राम सभा मेंशेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड लाहौल						
1.	खंगसर	1. खंगसर 2. सकर 3. शुगू 4. जागला 5. क्यंगचा	शूलिंग	1. शूलिंग	ग्राम सभा खंगसर के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य	

		6. मूर्तिचा 7. रालिंग 8. खोरपानी **9. शूलिंग**			सभी ग्रामों, ग्राम सभा खंगसर में रहेंगे।	
2.	तांदी	1. ठोलंग 2. तांदी 3. ले – सुमनम 4. भा- सुमनम 5. फुन्खयार 6. बोकटा 7. मरबल **8. वारिंग** **9. माड़ंग** **10. गाड़ंग** **11. क्रोजिंग** **12. मालंग**	मालंग	1. वारिंग 2. माड़ंग 3. गाड़ंग 4. क्रोजिंग 5. मालंग 6. वारी	ग्राम सभा तांदी के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा तांदी में रहेंगे।	
3.	वारपा	1. लोट 2. तोज़िंग 3. रांगवे 4. तोकारिंग 5. लपशक 6. यांगरंग **7. वारि**			ग्राम सभा वारपा के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा वारपा में रहेंगे।	

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज)।

———

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, दिनांक 10 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-11813-20.—क्योंकि विभाग में जिला किन्नौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला किन्नौर के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला किन्नौर को, इस सम्बन्ध में सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला किन्नौर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला किन्नौर, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला किन्नौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसकेमुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 मेंवर्णित ग्राम सभा मेंशेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड कल्पा						
1.	पांगी	1. पांगी 2. खोंटा 3. मेबर 4. बोक्टू 5. रागुरा 6. C-237	येन पांगी	1. खोंटा 2. मेबर 3. बोक्टू 4. C-237	ग्राम सभा पांगी के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा पांगी में रहेंगे।	
2.	दूनी	1. दूनी 2. **ब्रेलिंगी** 3. गोली 4. दुमदुमका	ब्रेलिंगी	ब्रेलिंगी	ग्राम सभा दूनी के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा दूनी में रहेंगे।	
2. विकास खंड निचार						
3.	नाथपा	**1. रोकचारग** **2. काचरंग** 3. नाथपा-1 4. नाथपा-2 5. कंडार **6. सोलरिंग** **7. ब्रेयानग**	काचरंग	1. रोकचारग 2. काचरंग 3. सोलरिंग 4. ब्रेयानग	ग्राम सभा नाथपा के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा नाथपा में रहेंगे।	
4.	रूपी	**1. शिगरंचा** **2. हुरवा** **3. दाबलिंग** 4. नालिंग 5. मजगाँव 6. गुरगुरी **7. बुरग** **8. पास्पा**	शिगरंचा	1. शिगरंचा 2. हुरवा 3. दाबलिंग 4. बुरग 5. पास्पा	ग्राम सभा रूपी के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा रूपी में रहेंगे।	

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज)।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 20 मार्च, 2026

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–10 / 2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2)** जो आज दिनांक **20 मार्च, 2026** को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 2.

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 6–क का अंतःस्थापन।

2026 का विधेयक संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.**–– हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

> ''(तत) ''अनाथ और विधवा उपकर'' से, अधिनियम की धारा 6–क के अधीन उद्गृहीत उपकर अभिप्रेत है।''।

3. धारा 6–क का अतःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"**6–क. अनाथ और विधवा उपकर.**––(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा धारा 6 के अधीन उपकर के अतिरिक्त, राज्य में प्रथम विक्रय के बिंदु पर पैट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल पर प्रत्येक व्यापारी से अनाथ और विधवा उपकर, नाम से किन्तु जो पांच रुपये प्रति लीटर से अधिक नहीं होगा, सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किए जाने पर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।

(2) उपकर से संगृहीत रकम अनाथ और विधवा कल्याण निधि में जमा की जाएगी।

(3) संगृहीत अनाथ और विधवा उपकर की रकम का उपयोग अनाथों और विधवाओं के कल्याण हेतु किया जाएगा।"।

––––––––––

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सरकार समान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित अनाथों और विधवाओं को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता और कल्याण सहयोग प्रदान करती आ रही है। ऐसी कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और सुदृढीकरण हेतु समर्पित, स्थायी और गतिशील राजस्व स्रोत को सुनिश्चित करने के आशय से, राज्य में प्रथम विक्रय के बिन्दु पर पैट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर एक विनिर्दिष्ट उपकर उद्गृहीत करना अनिवार्य समझा गया है।

प्रस्तावित विधेयक, विद्यमान विधि के अधीन पहले से उद्ग्रहणीय कर के अतिरिक्त "अनाथ और विधवा उपकर" नाम से ज्ञात एक उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की पूर्ति करता है। यह उपकर अधिकतम पांच रुपए प्रति लीटर की सीमा के अध्यधीन प्रति लीटर ऐसी दर पर उद्ग्रहीत किया जाएगा जैसा सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्ग्रहण युक्तियुक्त रहे और उपभोक्ताओं पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े।

अतः, प्रस्तावित विधेयक, अधिनियम के अधीन अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए संसाधनों को संचारित करने के उद्देश्यों के लिए है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः.....2026

––––––––

वित्तीय ज्ञापन

––––––––

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

––––––––

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Insertion of section 6-A.

———

Bill No. 2 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short Title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of Section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause "p", the following clause shall be inserted, namely:—

"(pp) "Orphan and Widow Cess" means the cess levied under section 6-A of the Act.".

3. Insertion of section 6-A.— After section 6 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"6-A. Orphan and Widow Cess.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, and in addition to the tax levied under section 6, there shall be levied and collected from every dealer, a cess namely the Orphan and Widow Cess, as may be determined by the Government by way of notification, but not exceeding rupees five per litre on Petrol and High Speed Diesel, at the point of first sale in the State.

(2) The amount of Cess collected shall be credited to the Orphan and Widow Welfare Fund.

(3) The amount of Orphan and Widow Cess collected shall be utilised for the welfare of orphans and widows.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government has been providing financial assistance and welfare support to orphans and widows belonging to economically weaker sections of society through various schemes. In order to ensure a dedicated, stable and sustainable source of revenue for the effective implementation and strengthening of such welfare measures, it has been considered necessary to levy a specific cess on Petrol and High Speed Diesel at the point of first sale in the State.

The proposed Bill seeks to provide for the levy and collection of a cess, to be called the "Orphan and Widow Cess", in addition to the tax already leviable under the existing law. The cess shall be levied at such rate per litre as may be notified by the Government, subject to a maximum ceiling of rupees five per litre, thereby ensuring that the levy remains reasonable and does not impose an undue burden on consumers.

The proposed Bill thus seeks to mobilise resources for the welfare of orphans and widows under the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:
THE……., 2026

FINANCIAL MEMORANDUM

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Smt. Nirmla Devi d/o Sh. Jamba Singh, r/o Village & P.O. Badehar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.). .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003. Whereas, Smt. Nirmla Devi d/o Sh. Jamba Singh, r/o Village & P.O. Badehar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering Date of Birth 15-03-1959 could not be registered in record of G.P. Badehar.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed Date of Birth of Smt. Nirmla Devi d/o Sh. Jamba Singh may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 09-04-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Smt. Meeran Devi d/o Sh. Raghoo Nath, Village Balokhar, P.O. Town Bhrari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.). .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003. Whereas, Smt. Meeran Devi d/o Sh. Raghoo Nath, Village Balokhar, P.O Town Bhrari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering Date of Birth 03-05-1962 which could not be registered in record of G.P. Nandhan.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed Date of Birth Smt. Meeran Devi d/o Sh. Raghoo Nath of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 09-04-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Smt. Pushpa Devi d/o Sh. Inder Singh, Village & P.O. Amman, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.). .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003. Whereas, Smt. Pushpa Devi d/o Sh. Inder Singh, Village & P.O. Amman, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering Date of Birth 27-04-1975 could not be registered in record of G.P. Amman.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed Date of Birth Pushpa Devi d/o Sh. Inder Singh, of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 09-04-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Naib-Tehsildar-cum**-Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Baldev Sharma

Versus

General Public

Notice to General Public.

Baldev Sharma s/o Govind Ram, r/o Village Jangal, P. O. Balh-Bihal, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of his date of birth which took place on 10-08-1964 but due to ignorance it could not be entered in the record of Gram Panchayat Balh-Bihal. In this regard, the applicant Baldev Sharma has submitted the requisite documents mentioning his date of birth as 10-08-1964.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 10-08-1964, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 12-03-2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Naib-Tehsildar-cum**-Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Asha Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Asha Devi d/o Lachhman Singh, r/o Village Karnehra, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of his date of birth which took place on 25-03-1966 but due to ignorance it could not be entered in the record of Gram Panchayat Raily. In this regard, the applicant Asha Devi has submitted the requisite documents mentioning her date of birth as 25-03-1966.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 25-03-1966, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 12-03-2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Naib-Tehsildar-cum**-Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Leela Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Leela Devi d/o Ponnu Ram, r/o Village Chakmoh, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth which took place on 24-02-1966 but due to ignorance it could not be entered in the record of Gram Panchayat Chakmoh. In this regard, the applicant Leela Devi has submitted the requisite documents mentioning his date of birth as 24-02-1966.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e*. 24-02-1966, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 16-03-2026.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Swati Dogra , HPAS, Marriage Officer-cum**-Sub- Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Randeep Singh s/o Sh. Amar Sihgh, r/o Village Har, P.O. Bumbloo, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Isha Mehra d/o Late Sh. Suresh Kumar, r/o House No. 562, Sector-13 Khanpur, Kharar SAS Nagar (Mohali) Punjab-140301 .. *Appeliants*.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Randeep Singh & Ms. Isha Mehra have filed an application u/s 15 & 16 of Special Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 03-11-2025.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 07-04-2026. In case no objection is received by 07-04-2026, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 07-03-2026.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar (H.P.).

ब अदालत, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भोरंज,जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

ब्यासो देवी पत्नी श्री हरनाम सिंह, वासी टीका कोटलू, डाकघर पट्टा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––राजपत्र में प्रकाशन बारे।

यह दरख्वास्त शपथ–पत्र सहित ब्यासो देवी पत्नी श्री हरनाम सिंह, वासी टीका कोटलू, डाकघर पट्टा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में इस आशय के साथ गुजार रखी है कि उसका नाम जन्म प्रमाण–पत्र में ब्यासो देवी व जन्म तिथि 01–09–1947 दर्ज है जोकि सही है परन्तु पंचायत रिकार्ड में उसका नाम व्यासा देवी व जन्म तिथि 16–05–1947 दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थिया पंचायत नंधन के रिकार्ड में सही नाम का इंन्द्राज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया कि यदि किसी को नाम व जन्म तिथि दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20–04–2026 को या इससे पूर्व इस कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवा सकता है उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
एवं तहसीलदार भोरंज,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

In the court of Sh. Aditya Guleria, Executive Magistrate,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)

Case No.: 19/NT/26 Date of hearing: 17-04-2026

In the matter of:

Anvari Bibi d/o Sharif Muhammed, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi H.P. . . *Applicant.*

Vs.

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Registration of delayed birth of the applicant.

Whereas an application u/s 13(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969 has been received from Anvari Bibi d/o Sharif Muhammed, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi H.P., seeking registration of her delayed birth event, stated to have been born on 06-06-1970 at Village Dinak, P.O. Kanaid, Gram Panchayat Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, which could not be entered/registered within the prescribed period under the Registration of Birth and Death Act, 1969 in the record of Gram Panchayat Kanaid, and whereas the said applicant has prayed for registration of the said birth at this belated stage.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if any person has any objection or information regarding the facts stated in the said application, he/she may submit the same in writing alongwith supporting evidence, if any, to the undersigned on or before 17-04-2026.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no one has any objection, and the matter shall be proceeded with further as per law.

Issued under my hand and seal on this day of 12th of March, 2026.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

In the court of Executive Magistrate, Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)

Case No.: 20/NT/26 Date of hearing: 17-04-2026

In the matter of:

Ramzano Bibi d/o Sarif Momammed, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi H.P . . . *Applicant.*

Vs.

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Registration of delayed birth of the applicant.

Whereas an application u/s 13(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969 has been received from Ramzano Bibi d/o Sarif Momammed, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi H.P., seeking registration of her delayed birth event, stated to have been born on 02-02-1968 at Village Dinak, P.O. Kanaid, Gram Panchayat Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, which could not be entered/registered within the prescribed period under the

Registration of Birth and Death Act, 1969 in the record of Gram Panchayat Kanaid, and whereas the said applicant has prayed for registration of the said birth at this belated stage.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if any person has any objection or information regarding the facts stated in the said application, he/she may submit the same in writing alongwith supporting evidence, if any, to the undersigned on or before 17-04-2026.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no one has any objection, and the matter shall be proceeded with further as per law.

Issued under my hand and seal on this day of 12th of March, 2026.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate Theog, Tehsil Theog,
District Shimla (H. P.)

Smt. Amita d/o Sh. Prem Singh, r/o Village Jagedi Pargana Devrighat, P.O. & Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public .. *Respondent.*

Whereas, a case regarding entry of birth of Smt. Amita d/o Sh. Prem Singh, r/o Village Jagedi Pargana Devrighat, P.O. & Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) has been received in this office from Additional Distt. Registrar (Birth & Death) *vide* letter No. 586, dated 21-01-2026 for further necessary action under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Amita has also submitted an application on dated 02-02-2026 in this office to enter the date of birth of her in the record of Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Devrighat, Tehsil Theog, District Shimla, H.P.

Sl. No.	Name of the person whose date of birth is to be entered	Relation	Date of Birth
1.	Amita	Self	05-06-1984

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named preson in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Devrighat, Tehsil Theog, may file their claims/objections in the court within one month of publication of this notice in Govt. e-Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on ..... under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Theog, District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री गोपाल पुत्र श्री सइडू राम, निवासी ग्राम लम्बिधार, डा0 नैनिधार ग्राम पंचायत नैनिधार, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम लम्बिधार, डा0 नैनिधार, ग्राम पंचायत नैनिधार, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

गोपाल पुत्र श्री सुइडू राम, निवासी ग्राम लम्बिधार, डा0 नैनिधार ग्राम पंचायत नैनिधार, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B & D/Delayed Cases/2025-14516 dated 19–02–2026 के द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 01–08–1985 को ग्राम पंचायत नैनिधार के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन–पत्र में मय ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10, आधार कार्ड परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गोपाल पुत्र श्री सुइडू राम की जन्म तिथि 01–08–1985 को ग्राम पंचायत नैनिधार, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 06–04–2026 सायं 5.00 बजे तक करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी गोपाल पुत्र श्री सुइडू राम निवासी ग्राम लम्बिधार, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01–08–1985 को ग्राम पंचायत नैनिधार, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब–तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बाला राम, निवासी गांव पपलोह, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

"अदालती इश्तहार / नोटिस"

प्रार्थी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बाला राम, निवासी गांव पपलोह, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B & D/Delayed Cases/2025-12455 दिनांक 03–01–2026 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के बयान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, नकल परिवार रजिस्ट्रर, एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 15–17–1989 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि उक्त ग्राम पंचायत, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर / एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 10–04–26 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर / एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बाला राम की जन्म तिथि 15–17–1989 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएगें।

आज दिनांक 10–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
(नायब–तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

Before Sh. Ravinder Kumar Sisodiya, Executive Magistrete, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. krish Kumar s/o Sh. Om Prakash, r/o Village Byas, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Versus

General Public

Proclamation Regarding Correction of Father Name

Whereas, the above named applicant has submitted an application (through his mother) before undersinged alongwith copy of affidavit, Educational Certificate (10th & 12th), Birth Certificate and Aadhar Card for the correction of his father name as SH. OM PRAKASH instead of OMPRAKASH in his educational record.

Now, therefore objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to correction of the applicant father name as OM PARKASH instead OMPARKASH in his all educational record (10th & 12th) then they should appear before the court of undersigned on or before 10-04-2026 either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 10-03-2026.

Seal.

RAVINDER KUMAR SISODIYA,
Naib-Tehsildar-cum-*Executive Magistrate*,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत श्री खुशहाल सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री लच्छी राम, निवासी चौरास–टारना, डाकघर देवना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री लच्छी राम, निवासी चौरास–टारना, डाकघर देवना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 20–10–1982 है और उसे ग्राम पंचायत / नगरपालिका देवना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 10–04–2026 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर सुमित्रा की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 11–03–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री खुशहाल सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर घण्डूरी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता / सगे सम्बंधी

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर घण्डूरी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख वाका मौजा घण्डूरी में अपने पिता का नाम लच्छमी सिंह के स्थान पर लक्ष्मी सिंह दुरुस्त करवाने बारे आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया है कि उसके बाकी सभी दसतावेजों में उसके पिता का नाम लक्ष्मी सिंह दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख वाका मौजा घण्डूरी में उसके पिता का नाम लच्छमी सिंह दर्ज है जो गलत दर्ज है। प्रार्थी अपने अन्य दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेख वाका मौजा घण्डूरी में अपने पिता का सही नाम लक्ष्मी सिंह करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17–04–2026 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में इस अदालत में उपस्थित आकर अपना लिखित एतराज प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर वादी के पिता का सही नाम "श्री लक्ष्मी सिंह" दर्ज कर दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 10–03–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री भजनू पुत्र श्री थोलू पुत्र श्री सेवा, निवासी गांव सरो, डा0घ0 शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय : आधार कार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री भजनू पुत्र श्री थोलू पुत्र श्री सेवा, निवासी गांव सरो, डा0घ0 शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन इस कार्यलय में प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके आधार कार्ड में उनका नाम भजन सिंह दर्ज है जोकि गलत है जबकि उनका सही नाम भजनू है जो उनके परिवार नकल, राजस्व अभिलेख व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि आधार कार्ड में भी उनका सही नाम भजनू दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री भजनू पुत्र श्री थोलू आधार संख्या 5152 1117 3921 में आवेदक का नाम भजन सिंह पुत्र थोलू के स्थान पर भजनू पुत्र थोलू दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति का कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति दिनांक

25–04–2026 से पहले अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक का नाम आधार कार्ड संख्या 5152 1117 3921 में भजन सिंह के स्थान पर भजनू दर्ज करने के आदेश पारित किये जावेंगे।

आज दिनांक 13–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

CORRECTION OF NAME

I, Sanjeev s/o Sh. Satpal, r/o Village Dolowal, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that my correct name is Sanjeev, but my name Sanjeev Chaudhary is wrongly mentioned in Aadhar Card No. 9469 6843 5447. I want to enter the correct name as Sanjeev in Aadhar Card.

SANJEEV
s/o Sh. Satpal,
r/o Village Dolowal, Tehsil Nalagarh,
District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nitya Chandla w/o Sh. Dheeraj Chandla, r/o Village & P.O. Satother (173), Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.) declare that I have changed my name from Nitya Chandla to Nitya Kumari. All concerned please note.

NITYA CHANDLA
w/o Sh. Dheeraj Chandla,
r/o Village & P.O. Satother (173),
Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Deepak Kumar s/o Sh. Satyapal, r/o Village Jola (114), P.O. Dahan, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) declared that I have changed my minor son's name from Baby of Vinay Kumari to Suraj Kumar. All concerned please note.

DEEPAK KUMAR
s/o Sh. Satyapal,
r/o Village Jola (114), P.O. Dahan,
Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mamta w/o Sh. Prem Dutt Sharma, r/o Village Shil, P.O. Deothi (74), Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declared that I have changed my name from Mamta to Shakuntla. All concerned please note.

MAMTA
w/o Sh. Prem Dutt Sharma,
r/o Village Shil, P.O. Deothi (74),
Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhima Ram s/o Sh. Khem Chand, r/o Village Jawala, P.O. Bhanera, Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Khavish Sharma to Khushvinder Sharma. All concerned please note.

BHIMA RAM
s/o Sh. Khem Chand,
r/o Village Jawala, P.O. Bhanera,
Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rekha Kumari w/o Sh. Ram Lal, r/o Village Kadoli, Post Office Sangrah, Tehsil Renuka Ji, District Sirmaur (H.P.) declare that my son's correct name is Aditya as per Birth Certificate, whereas in Aadhar Card, his name inadvertently written as Adtiya, which is incorrect. All concerned please may note & correct the same.

REKHA KUMARI
w/o Sh. Ram Lal,
r/o Village Kadoli, Post Office Sangrah,
Tehsil Renuka Ji, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Om Prakash s/o Sh. Guzar Ram, r/o V.P.O. Manuta, Tehsil Sihunta, District Chamba (H.P.)-176 302 declare that I have changed my name from Sadhu Ram to Om Prakash. I shall be known as Om Prakash for all purposes in future. All concerned please note.

OM PRAKASH
s/o Sh. Guzar Ram,
r/o V.P.O. Manuta, Tehsil Sihunta,
District Chamba (H.P.)-176 302.

CHANGE OF NAME

I, Chander Bhushan s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Tanaji, Gouhra (513), P.O. Gaura, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) declared that I have changed my minor son's name from Ishan Thakur to Ruder Thakur. All concerned please note for further.

CHANDER BHUSHAN
s/o Sh. Bhagat Ram,
r/o Village Tanaji, Gouhra (513),
P.O. Gaura, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Darshanu Devi w/o Sh. Bhalkhu Ram, r/o Village Bisha (423), P.O. Bisha, District Solan (H.P.) declared that I have changed my name from Darshanu Devi to Darshana Devi. All concerned please note for future.

DARSHANU DEVI
w/o Sh. Bhalkhu Ram,
r/o Village Bisha (423), P.O. Bisha,
District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Lachchi Ram s/o Sh. Roda Ram, r/o Nehar Pab (104), P.O. Churwadhar, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) declared that I have changed my name from Lachchi Ram to Lachhi Ram. All concerned please note for future.

LACHCHI RAM
s/o Sh. Roda Ram,
r/o Nehar Pab (104), P.O. Churwadhar,
Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Thakur Singh aged 54 years s/o Sh. Bhuri Singh, r/o Village Patha, P.O. Khakhriyana, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) declare that my name Thakar Singh is wrongly mentioned in Aadhar Card. Now, I have been changed my name Thakar Singh to Thakur Singh. Today onwards, my name considered as Thakur Singh for all purposes. All concerned please note.

THAKUR SINGH
s/o Sh. Bhuri Singh,
r/o Village Patha, P.O. Khakhriyana,
Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sanjay Kumar s/o Sh. Chand Ram, Vill. Chaloni Jamla, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that my son's correct name is Kakshit. But my son's name Kashit is wrongly mentioned in Aadhar Card 4983 7893 1148. I want to entered the correct name of my son Kakshit in the Aadhar Card.

SANJAY KUMAR
s/o Sh. Chand Ram,
Vill. Chaloni Jamla,
Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ashawati w/o Sh. Ram Kumar, r/o Dhakiya Kalan, Shahpur, Bhan Pur Kheri, Bhanpur, Uttar Pradesh declare that I am presently residing at Vill. Kamthan, P.O. Kot, Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.) since 10 year. My minor son is studying in Government Sr. Secondary School Kanda, Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.). His name in Aadhar Card has. 1 spelling mistake. I want to corrrect/changed name from Rashamangal to Rishmangal.

ASHAWATI
w/o Sh. Ram Kumar,
r/o Dhakiya Kalan, Shahpur,
Bhan Pur Kheri, Bhanpur, Uttar Pradesh,
presently residing at Vill. Kamthan,
P.O. Kot, Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Soni Devi w/o Raman Kumar, r/o Kapoor Niwas, near DAV School, New Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly registered as Riya and her father's name as Raman Singh in the school records. Whereas the correct name of my daughter is Riya Devi and father's name is Raman Kumar. All concerned please note.

SONI DEVI
w/o Raman Kumar,
r/o Kapoor Niwas, Near DAV School, New Shimla,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sajno Devi w/o Sh. Teeka Ram, Village Kumli, P.O. Sharli, Manpur, Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.) declare that my correct name is recorded in my documents, but in my Aadhar Card, my name is mistakenly written as Sangeeta Sharma instead of Sajno Devi, which should be corrected.

SAJNO DEVI
w/o Sh. Teeka Ram,
Village Kumli, P.O. Sharli, Manpur,
Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ajudhyua Devi w/o Late Sh. Gyan Chand, r/o Vill. Baroh, P.O. Baroh, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Judhya Devi to Ajudhyua Devi. I shall be known as Ajudhyua Devi for all purposes in future. All concerned please note.

AJUDHYUA DEVI
w/o Late Sh. Gyan Chand,
r/o Vill. Baroh, P.O. Baroh,
Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kumari Anjana Patyal w/o Sh. Ravinder Kumar, r/o Vill. Darbhial, P.O. Sudhial, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Anjana Kumari to Kumari Anjana Patyal. I shall be known as Kumari Anjana Patyal for all purposes in future. Please note.

KUMARI ANJANA PATYAL
w/o Sh. Ravinder Kumar,
r/o Vill. Darbhial, P.O. Sudhial,
Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Preenty d/o Sh. Surender Kumar, r/o Vill. Kishanpura, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.) declare that my correct name is Preenty in my Aadhar Card it has been wrongly recorded as Preeeti. Preenty and Preeti refer to one and the same person. Hence, correction may kindly be noted.

PREENTY
d/o Sh. Surender Kumar,
r/o Vill. Kishanpura, P.O. Gurumajra,
Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ashwani Kumar s/o Sh. Karam Chand, r/o Ward Number 2, Nagar Parishad Mehatpur, Basdehra, District Una (H.P.) informed all that I have changed the name of my daughter from Navya to Navneet Kaur. In future, all person known her as Navneet Kaur.

ASHWANI KUMAR
s/o Karam Chand,
r/o Ward Number 2,
Nagar Parishad Mehatpur, Basdehra,
District Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Gelmo Devi w/o Sh. Satish Kumar, r/o Ward No. 03, V.P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that my name is wrongly written as Gelemo Devi in my Aadhar Card No. 4865 2500 9298, whereas, my correct name is Gelmo Devi as recorded in my Himachal Pradesh Bonafide Certificate. My name should be recorded as Gelmo Devi in my Aadhar Card instead of Gelemo Devi. All concerned please take note of this.

GELMO DEVI
w/o Sh. Satish Kumar,
r/o Ward No. 03, V.P.O. Gharoh,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Milphan Gpurmey s/o Mr. Thinley Gyatso, V.P.O. Bheth Jhikli, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Miphan Gpurmey to Milphan Gpurmey. All concerned note.

MILPHAN GPURMEY
s/o Mr. Thinley Gyatso,
V.P.O. Bheth Jhikli, Tehsil Baijnath,
Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Arti (UIN 361917447107) d/o Sh. Jai Pal, r/o V.P.O. Kaulanwala Bhood, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my actual name is Arti as per my School Certificate but in Aadhar Card my name is wrongly entered as Aayat Ansari, which is required to be corrected as Arti. Please note.

ARTI
d/o Sh. Jai Pal,
r/o V.P.O. Kaulanwala Bhood,
Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pawan Kumar s/o Sh. Des Raj, r/o Vill. Riyali, P.O. Awan, Teshil Bhattiyat, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Ayush to Sahil. He shall be known as Sahil for all purposes in future. All concerned please note.

PAWAN KUMAR
s/o Sh. Des Raj,
r/o Vill. Riyali, P.O. Awan,
Teshil Bhattiyat, Distt. Chamba (H.P.).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 14 मार्च, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-12330-35.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-11821-25, दिनांक 10-03-2026 द्वारा जिला कांगड़ा में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर उपायुक्त, जिला कांगड़ा द्वारा विचार किया गया तथा तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेशकी निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर,नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतू, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड सुराणी						

1.	डोहग देहरियां	**1. बन्ड** **2. सलेहड़** 3. कत्यालू **4. काला पानी** 5. घरूं **6. ठाना** 7. दोहग **8. रिज़र्व जंगल सिम्बल खाला** **9. रिज़र्व जंगल काला पानी**	बाबा पंजा	1. बन्ड 2. सलेहड़ 3. काला पानी 4. ठाना 5. रिज़र्व जंगल सिम्बल खाला 6. रिज़र्व जंगल काला पानी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा डोहग देहरियां में रहेंगे।	
2.	अम्ब पठियार	1. उचेहड़ **2. डोली** 3. पठियार **4. सलेतर** (नगर परिषद् ज्वालामुखी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग) **5. काली धार अम्ब** **6. रिज़र्व जंगल अम्ब**	अम्ब सलेतर	1. डोली 2. सलेतर (नगर परिषद् ज्वालामुखी में सम्मिलितक्षेत्र को छोड़कर शेष भाग) 3. काली धार अम्ब 4. रिज़र्व जंगल अम्ब	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा अम्ब पठियार में रहेंगे।	विभाग की अधिसूचना दिनांक 31-12-2024 द्वारा **गाँव सलेतर** का आंशिक भाग नगर परिषद् ज्वालामुखी में सम्मिलित किया गया है।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

———————

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 14 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-12348-53.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-11808-12 दिनांक 10-03-2026 द्वारा जिला लाहौल स्पिति में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला लाहौल स्पिति को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला लाहौल स्पिति हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर,नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतू, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड लाहौल						
1.	खंगसर	1. खंगसर 2. सकर 3. शुगू 4. जागला 5. क्यंगचा 6. मूर्तिचा 7. रालिंग 8. खोरपानी **9. शूलिंग**	शूलिंग	1. शूलिंग	ग्राम सभा खंगसर के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा खंगसर में रहेंगे।	
2.	तांदी	1. ठोलंग 2. तांदी 3. ले – सुमनम 4. भा- सुमनम 5. फुन्खयार 6. बोकटा 7. मरबल **8. वारिंग** **9. माड़ंग** **10. गाड़ंग** **11. क्रोजिंग** **12. मालंग**	मालंग	1. वारिंग 2. माड़ंग 3. गाड़ंग 4. क्रोजिंग 5. मालंग 6. वारी	ग्राम सभा तांदी के कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा तांदी में रहेंगे।	
3.	वारपा	1. लोट 2. तोज़िंग 3. रांगवे 4. तोकारिंग 5. लपशक 6. यांगरंग **7. वारि**			ग्राम सभा वारपा के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा वारपा में रहेंगे।	

आदेश द्वारा]

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 14 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-12336-41.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-11782-90, दिनांक 10-03-2026 द्वारा जिला ऊना में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला ऊना को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर उपायुक्त, जिला ऊना द्वारा विचार किया गया तथा तदनुसार उन पर विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर, नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतू, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1.	**विकास खंड बंगाणा**					
1.	थाना कलां	1. थाना कलां 2. हरी नगर 3. मझेड **4. थाना खास** **5. पनेड** **6. घुगन ककराना**	घुगन ककराना	1. थाना खास 2. पनेड 3. घुगन ककराना	ग्राम सभा थाना कलां के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा थाना कलां में रहेंगे।	
.	टीहरा	**1. टांडा उपरला** **2. टांडा झिकला** **3. मलोनियांसन्हाल** **4. करवालियां सन्हाल** 5. टीहरा 6. तलेहडा 7. अघलौर	टांडा	1. टांडा उपरला 2. टांडा झिकला 3. मलोनियां सन्हाल 4. करवालियां सन्हाल	ग्राम सभा टीहरा के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा टीहरा में रहेंगे।	*कोष्ठ संख्या 1 के क्रम संख्या 7 पर वर्णित ग्राम* ***अघलौर*** *को ग्राम सभा* ***मंदली*** *से अपवर्जित कर ग्राम सभा* ***टीहरा*** *में*

						सम्मिलित किया गया है ।
3.	मंदली	**1. अघलौर** 2. दुलेहडी राजपूता 3. मढान 4. सासन 5. थानाखुर्द 6. मंदली 7. दुलेहडी ब्राह्मणा 8. चंगरेडी 9. बिहडूकलां 10. बिहडूखुर्द **11. दैण** **12. नुरगाडी** **13.** नथेडी **14. वदगार** 15. **डोहक**	डोहक	1. नुरगाडी 2. दैण 3. वदगार 4. डोहक	ग्राम सभा मंदली के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो व ग्राम सभा **टीहरा** में सम्मिलित ग्राम **अघलौर** को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा मंदली में रहेंगे /	
2.	**विकास खंडअम्ब**					
4.	हम्बोली	1. हम्बोली उपरली 2. हम्बोली निचली **3. बहेड़ी** **4. सेरी**	सेरी	1. बहेड़ी 2. सेरी	ग्राम सभा हम्बोली के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा हम्बोली में रहेंगे ।	
5.	चौआर	1. चौआर 2. टकोली 3. कोहाड़छन	कोहाड़छन	1. कोहाड़छन	ग्राम सभा चौआर के कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा चौआर में रहेंगे ।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

————————

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 14 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-12400-405.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-11798-803, दिनांक 10-03-2026 द्वारा जिला सोलन में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सोलन को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर उपायुक्त, जिला सोलन द्वारा विचार किया गया तथा तदनुसार उन पर विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर, नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतू, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड सोलन						
1.	सलोगड़ा	1. ऐन्डा 2. एंडी 3. कथोग 4. गुठाह 5. गण की सेर **6. घलूत खुर्द** **7. घलूत कलां** 8. चरजेड़ा 9. चोखला 10. जबलाटी **11. टिककर** **12. ढलेण** 13. धार **14. नेरी** 15. फशकणा 16. बझलोग 17. बेल 18. मढान्जी **19. मनसार** 20. शाम्बर 21. सिहावला 22. सलोगडा 23. हरठ **24. जोखडी** **25. मथिया** 26. फलोग	मनसार	1. घलूत खुर्द 2. घलूत कलां 3. टिककर 4. ढलेण 5. नेरी 6. मनसार 7. जोखडी 8. मथिया	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सलोगड़ा में रहेंगे।	

2. विकास खंड कंडाघाट						
2.	सतडोल	1. कोट 2. काशीपटा 3. सतडोल 4. शील्लू 5. बिल्ली 6. पलास्टा पंजडोल 7. दवलोग **8. बन्दराओ** **9. दिवी** **10. शलाह ब्रह्मणा** **11. शलाह कोलिया** **12. कुम्हाली** **13. घाट कुम्हाला** **14. चकनाहट** **15. बांजणी** **16. पैडी**	घाट कुम्हाला	1. बन्दराओ 2. दिवी 3. शलाह ब्रह्मणा 4. शलाह कोलिया 5. कुम्हाली 6. घाट कुम्हाला 7. चकनाहट 8. बांजणी 9. पैडी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सतडोल में रहेंगे।	

आदेश द्वारा]

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 14 मार्च, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-12412-17.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3/2024-11813-20 व 11870, दिनांक 10-03-2026 द्वारा जिला किन्नौर में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला किन्नौर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर उपायुक्त, जिला किन्नौर द्वारा विचार किया गया तथा तदनुसार उन पर विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर, नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतू, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड कल्पा						
1.	पांगी	1. पांगी **2. खवांटा** **3. मैबर 6/8** **4. बोक्टू** 5. रागुरा	थेन पांगी	1. खवांटा 2. मैबर 6/8 3. बोक्टू	ग्राम सभा पांगी के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा पांगी में रहेंगे।	
2.	दुनी	1. दूनी **2. ब्रेलिंगी** 3. गोली 4. दुमदुमका	ब्रेलिंगी		ग्राम सभा दूनी के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा दूनी में रहेंगे।	
2. विकास खंड निचार						
3.	नाथपा	**1. रोकचारंग** **2. काचरंग** 3. नाथपा 4. कंडार **5. सोलारिंग**	काचरंग	1. रोकचारंग 2. काचरंग 3. सोलारिंग	ग्राम सभा नाथपा के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा नाथपा में रहेंगे।	
4.	रूपी	**1. शंगारचा** **2. हुरबा** **3. डाबलिंग** 4. नैनसारिंग 5. मझगाँव **6. बुरंग** **7. पाश्पा**	शिगरंचा	1. शंगारचा 2. डाबलिंग 3. बुरंग 4. पाश्पा 5. हुरबा	ग्राम सभा रूपी के कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा रूपी में रहेंगे।	
5.	रामणी	कागस्थल **जानी** रामणी खास शुदानंग	जानी	1. जानी	ग्राम सभा रामणी के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा रामणी में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला–171 009, 14 मार्च, 2026

संख्याः पीसीएच-एचए (1)3/2024-12377-82.—इस विभाग की जिला काँगड़ा की अधिसूचना संख्या पीसीएच एचए (1)3/2024-11387-11403 दिनांक 07-03-2026 में दर्शाई गई अनुसूची के क्रम संख्या 4, 5 व 6 पर अंकित जिला काँगड़ा विकास खंड सुराणी की ग्राम पंचायत दलोह, मझीन व सियालकड़ से नई ग्राम सभा (ओं) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

अनुसूची

क्र0 सं0	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
विकास खंड सुराणी						
1.	टिहरी	1. कंडहा **2. कनूही** **3. कुरेरा** 4. कोलहड़ी 5. गंभीर लाहड 6. चौंकी 7. टिहरी **8. दलोह** **9. पेडला** 10. रिज़र्व जंगल	दलोह	1. कनूही 2. कुरेरा 3. दलोह 4. पेडला	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा टिहरी में रहेंगे।	
2.	मझीन	**1. चौकी ढोरियाँ** **2. कोटू ढोरियाँ** 3. छिमकड़ **4. डडल** **5. डल** 6. त्रियामलू 7. दवकेड **8. भरेड** 9. मझीन **10. मतरेड** 11. वाग 12. सर्वनाटी 13. रिज़र्व जंगल सन्याली 14. रिज़र्व जंगल घटौर	पियाँ दा घट्टा	1. चौकी ढोरियाँ 2. कोटू ढोरियाँ 3. डडल 4. डल 5. भरेड 6. मतरेड 7. छरड़	ग्राम सभा मझीन के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा मझीन में रहेंगे।	
3.	सियालकड़	**1. छरड़**			ग्राम सभा	

		2. ढखर 3. बलडी 4. मनेरा 5. मरहाना 6. सडूही 7. सियालकड़ 8. हडवा			सियालकड़ के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सियालकड़ में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

————————

पंचायती राज विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला–171 009, 14 मार्च, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-12383-88.—इस विभाग की जिला हमीरपुर की अधिसूचना संख्या पीसीएच एचए (1)3/2024-11404-11, दिनांक 07-03-2026 में दर्शाई गई अनुसूची के क्रम संख्या 5 व 6 पर अंकित जिला हमीरपुर विकास खंड भोरंज की ग्राम पंचायत कडोहता व भौंखर से नई ग्राम सभा (ओं) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

अनुसूची

क्र0 सं0	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7
विकास खंड भोरंज						
1.	कडोहता	1. भेवल 2. मनोह बुल्ला 3. मनोह उप्परला 4. जिन्दड़ी 5. टांडा 6. तमरोह 7. कथोगह 8. रिहड़ी 9. कडोहता **10. कठियावीं** **11. जाड़** **12. नाहलवीं**	दशमल	1. जाड़ 2. नाहलवीं 3. बखोटा 4. दशमल 5. तोहू 6. मैरा 7. टीहरा कठियावीं (आंशिक) 42/125 खसरान 0438, 439,440,441,442,443, 444,445,446,447,447/ 1,448,448/1,449,450,	ग्राम सभा कडोहता के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामोव खसरा न0 को छोड़कर अन्य सभी ग्राम व खसरा न0, ग्राम सभा कडोहता में रहेंगे।	

		13. बखोटा		451,452,453,455,456,		
2.	भौंखर	**दशमल** **तोहू** **मैरा** **टीहरा** खुथड़ी भौंखर लठवाण साहरवीं		457,458,459,460,461, 462,463,464,465,466, 467,468,469,470,471, 472,473,474,475,478, 481,482,483,484,485, 486,487,488,489,490, 491,492,493,494,495, 496,496/1,498,499, 500,502,503,505,506, 507,508,509,510,511, 775,776,777,778,779, 780,781,782,783,784, 785,786,787,788,789, 790,791,792,793,794, 795,796,797,798,799, 800,801,802,803,804, 805,806,807,808,809, 810,811,812,813,814, 815,816,818,819,820, 821,822,823,824,825 मिन,825मिन,826,827 मिन,827मिन,828,829, 831,832,833,834,836, 837,838,839,840मिन, 840मिन,841,842,843, 843/1,845,846मिन,846 मिन,847,848,849,850, 851,852,853,854,855, 856,857,858,859,860, 861,862,863,864,865, 866,867,868,869,870, 871,872,874,875,876, 877,878,879,880,881, 882,883,884,885,886, 887,888,889,891,892, 893,894,895,896,897 मिन,897मिन,898,899, 900,901,902,903,904, 905,906,907,908,909, 910,911,912,913,914, 915,916,917,918,920, 921,922,923,924,925, 926,927,928,929,930, 932,933,934,934/1, 935,936,937,938,940, 941,942,943,944,945, 946,947,949,950,951, 952,953,954,955,956, 957,958,959,960,962, 963,964,965,966,967, 968,969,970,971,972, 973,974,975,976,977,	ग्राम सभा भौंखर के कोष्ट संख्या 5 में वर्णित ग्रामो को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा भौंखर में रहेंगे।	

				977/1,978,979,980, 981,982,983,984,985, 986,987,988,989,990, 991,992,993,994,995, 996,997,998,999,1000 ,1001,1002,1003,1004 ,1005,1006,10071008, 1009,1010,1011,1012, 1013,1013/1,1014,101 5,1017,1018,1019,102 0,1021,1022,1023,102 4,1025,1026,1027,102 8,1029,1030,1031,103 2,1033,1034,1035,103 7,1038,1039,1040 मिन,1040मिन,1041, 1043,1044,1045,1046, 1047,1050,1051,1052, 1053,1054,1055,1056, 1057,1058,1059,1060, 1061,1062,1063,1064, 1065,1066,1067,1068, 1069,1070,1071,1072, 1073 मिन, 1073 मिन, 1074,1075,1076,1077, 1078,1079,1080,1081, 1082,1082/1,1083, 1084,1085,1086,1087, 1088,1090,1091,1092, 1093मिन,1093मिन,109 3मिन,1094,1095,1096, 1097,1098,1099,1100, 1101,1102,1103,1104, 1105,1106,1107,1109, 1110,1415/11111416/ 1111,1417/1111,1418/ 1111,1112,1419/1113, 1420/1113,1421/1113, 1422/1113,1423/1113, 1424/1113,1425/1114, 1426/1114,1427/1115, 1428/1115,1429/1115, 1430/1115,1431/1115, 1477/1432/1115,1478/ 1432/1115,1433/1115, 1116,1117,1118,1434/ 1119,1435/1119,1436/ 1119,1437/1119,1438/ 1119,1440/1120,1441/ 1120,1442/1120,1443/ 1120,1121,1445/1122, 1446/1122,1447/1122, 1448/1122,1449/1122,		

				1450/1122,1451/1122, 1123,1124,1125,1125/ 1,1452/1126,1453/ 1126,1454/1126,1455/ 1126,1127,1128,1129, 1130,1131,1132,1133, 1456/1134,1456/1134, 1458/1134,1459/1134, 1460/1134,1461/1134, 1462/1134,1135,1136, 1137,1139,1139/1119, 1140,1141,1142,1143, 1144,1145,1146,1147, 1148,1149,1151,1152, 1153,1154,1155,1156, 1157,1158,1159,1160, 1162,1163,1164,1165, 1166,1167,1168,1169, 1170,1171,1172,1173, 1174,1175,1176,1177, 1178,1179,1180,1181, 1182,1183,1183/1,118 4,1185,1186,1187, 1188,1189,1190,1191, 1192,1193,1194,1195, 1196,1197,1198,1199, 1200 **कुल. .531**		

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला -171 009, दिनांक 14 मार्च, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-12395-99.—इस विभाग की जिला सोलन की अधिसूचना संख्या पीसीएच एचए (1)3/2024-11371-80 दिनांक 07-03-2026 में दर्शाई गई अनुसूची के क्रम संख्या 10 व 11 पर अंकित जिला सोलन विकास खंड पट्टा की ग्राम पंचायत बाड़िया (पटटा) व गोयला से नई ग्राम सभा (ओं) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

अनुसूची

क्र० सं०	**वर्तमान ग्राम सभा का नाम**	**कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम**	**नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम**	**कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम**	**कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम**	**विवरण**
1	2	3	4	5	6	7

विकास खंड पट्टा

10	बाड़िया (पटटा)	**1. घ्याण** **2. टिक्कर जाबल** **3. समलोग** **4. पपलोग** 5. जोहड़जी 6. भभौरी **7. नेहल** **8. मरीउ** **9. ढाब** **10. बरोटा** **11. मुल्हाड़ी** **12. चेयोग** **13. बटोली** **14. खड़ली** **15. पंजली** **16. बूटाइला** 17. बोड़नी 18. बढेरी 19. सकराला 20. खलग 21. मदफल 22. माजरा 23. प्रतापपुर 24. पटटा 25. बाडिया 26. कोटा पारला 27. कोटा वारला 28. वरागु 29. कासल 30. जंगल खलग 31. जंगल कांसल 32. जंगल शुक्ल 33. धारडू 34. थापल	घ्याण	1. घ्याण 2. टिक्कर जाबल 3. समलोग 4. पपलोग 5. नेहल 6. मरीउ 7. ढाब 8. बरोटा 9. मुल्हाड़ी 10. चेयोग 11. बटोली 12. खड़ली 13. पंजली 14. बूटाइला 15. कन्जयारा 16. जतावन 17. जमराहड़ा 18. पनाथरी 19. भोगपुर 20. डलियां	ग्राम सभा बाड़िया (पटटा) के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बाड़िया (पटटा) में रहेंगे।	कोष्ठ संख्या 5 में क्रम संख्या 20 पर वर्णित ग्राम **डलियां** को ग्राम सभा **दाड़वा** से शामिल किया गया है
11	गोयला	1. अम्बोटा 2. **कन्जयारा** 3. काटल ब्राहाणा 4. गोयला 5. **जतावन** 6. जुब्बड़ 7. **जमराहड़ा** 8. **पनाथरी** 9. फावगला 10. बढल 11. बढदु 12. बलोटा 13. **भोगपुर**			ग्राम सभा गोयला के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा गोयला में रहेंगे।	

		14. शेरला 15. शिमल पानी 16. सुआ 17. शेरटा 18. बजताणा				

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज)।

———————

पंचायती राज विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला -171 009, दिनांक 14 मार्च, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-14430-35.—इस विभाग की जिला ऊना की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)3/2024-6272-78 दिनांक 20-02-2026 में दर्शाई गई अनुसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित जिला ऊना की ग्राम पंचायत बाथू से नई ग्राम सभा **"गुरपलाह"** के स्थान पर **"गुरपलाह साहिब"** पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

———————

पंचायती राज विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला -171 009, दिनांक 14 मार्च, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-14442-17.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या: पीसीएच-एचए(1) 3/2024-11804-07 दिनांक 10-03-2026 द्वारा जिला चंबा में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला चंबा को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षपों पर उपायुक्त, जिला चंबा द्वारा विचार किया गया तथा सरकार द्वारा उन पर पुनर्विचार करने के पश्चात् विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप=धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला चंबा हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर, नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हंतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1 विकास खंड मैहला						
1.	ब्रेही	1. सकराल 2. सादून 3. तुर **4. अंदरौद** 5. सुकराल जंगल 6. बलेनी धार 7. बरही जंगल 8. दरकुंड जंगल 9. कनकोट धार 10. गनून जंगल	गदियाड़ा	1. अंदरौद	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा ब्रेही में रहेंगे।	

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला -171 009, दिनांक 21 मार्च, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए(1)18/2008-III-14731-923.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 13 मार्च, 2026 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन नियम (निर्वाचन), 2026 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 की उपधारा (3) के उपबन्धों केअधीन यथा अपेक्षित, जन साधारण से आक्षेपों और सुझावों कों राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 13 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप व सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

अतः हिमाचल प्रदेशके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 183 और186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पीसीएच) एचए-3) 6/94, तारीख 7 फरवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित और तारीख 8 फरवरी, 1995 को राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम (निर्वाचन), 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2026 है ।

(2) ये नियम,राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 28 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 28 में उप-नियम (8-क) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि जहां पंचायत के सदस्य का स्थान किसी श्रेणी के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ के पश्चात आयोजित किए जाने वाले निर्वाचन से ठीक पूर्व लगातार दो कार्यकालों तक आरक्षित रहा हो, वहां ऐसे स्थान को तत्पश्चात होने वाले अगले निर्वाचन में किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा तथा उसे अनारक्षित माना जाएगा;

परंतु यह और कि यह प्रतिबंध उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जहां ऐसे पद को अनारक्षित रखने से अधिनियम तथा नियमों के अधीन किसी श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाता हो।"

3. नियम 87 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 87 में उप-नियम (8-क) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि जहां ग्राम पंचायत के प्रधान का पद किसी श्रेणी के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ के पश्चात आयोजित किए जाने वाले निर्वाचन से ठीक पूर्व लगातार दो कार्यकालों तक आरक्षित रहा हो, वहां ऐसे पद को तत्पश्चात होने वाले अगले निर्वाचन में किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा तथा उसे अनारक्षित माना जाएगा;

परंतु यह और कि यह प्रतिबंध उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जहां ऐसे पद को अनारक्षित रखने से अधिनियम तथा नियमों के अधीन किसी श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाता हो।"

4. नियम 88 का संशोधन— उक्त नियमों के नियम 88 में उप-नियम (8-क) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि जहां पंचायत समिति के अध्यक्षका पद किसी श्रेणी के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ के पश्चात आयोजित किए जाने वाले निर्वाचन से ठीक पूर्व लगातार दो कार्यकालों तक आरक्षित रहा हो, वहां ऐसे पद को तत्पश्चात होने वाले अगले निर्वाचन में किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा तथा उसे अनारक्षित माना जाएगा;

परंतु यह और कियह प्रतिबंध उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जहां ऐसे पद को अनारक्षित रखने से अधिनियम तथा नियमों के अधीन किसी श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाता हो।"

5. **नियम 89 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 89 में उप-नियम (8-क) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि जहां जिला परिषद के अध्यक्ष का पद किसी श्रेणी के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ के पश्चात आयोजित किए जाने वाले निर्वाचन से ठीक पूर्व लगातार दो कार्यकालों तक आरक्षित रहा हो, वहाँ ऐसे पद को तत्पश्चात होने वाले अगले निर्वाचन में किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा तथा उसे अनारक्षित माना जाएगा;

परंतु यह और कि यह प्रतिबंध उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जहां ऐसे पद को अनारक्षित रखने से अधिनियम तथा नियमों के अधीन किसी श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाता हो।"

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA(1)18/2008- III dated 21st March as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India*].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-09, the 21st March, 2026

No. PCH-HA (1)18/2008-III-14731-923.—Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2026 were notified *vide* this department notification of even number dated 13-03-2026 and published in Rajpatra (e-gazette) of Himachal Pradesh on dated 13-03-2026 for inviting objection(s) and suggestion(s) from general public as required under sub-section (3) of section 186 of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, (Act No. 4 of 1994);

And whereas, no objection(s) and suggestion(s) have been receivedin this regard, within the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 183 and 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased

to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, notified *vide* this Department notification No. PCH-HA (3) 6/94, dated 7th February, 1995 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 8th February, 1995, namely:—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 28.—In rule 28 of H.P. Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 (hereinafter referred to as the 'said rules') after sub-rule (8-A), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where seat of Member of Panchayat has been reserved for any category for two consecutive terms immediately preceding the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2025, such seat shall not be reserved for any category in the immediately succeeding election and shall be treated as unreserved;

Provided further that this restriction shall not apply where non reservation of such office would result in non-fulfillment of the prescribed percentage of reservation of any category under the Act and Rules."

3. Amendment of rule 87.—In rule 87 of the 'said rules' after sub-rule (8-A), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where office of Pradhan of Gram Panchayat has been reserved for any category for two consecutive terms immediately preceding the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2025, such office shall not be reserved for any category in the immediately succeeding election and shall be treated as unreserved;

Provided further that this restriction shall not apply where non reservation of such office would result in non-fulfillment of the prescribed percentage of reservation of any category under the Act and Rules."

4. Amendment of rule 88.—In rule 88 of the 'said rules' after sub-rule (8-A), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where office of Chairman of Panchayat Samiti has been reserved for any category for two consecutive terms immediately preceding the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2025, such office shall not be reserved for any category in the immediately succeeding election and shall be treated as unreserved;

Provided further that this restriction shall not apply where non- reservation of such office would result in non-fulfillment of the prescribed percentage of reservation of any category under the Act and Rules."

5. Amendment of rule 89.—In rule 89 of the 'said rules' after sub-rule (8-A), the following proviso shall be inserted namely:—

"Provided that where office of Chairman of Zila Parishad has been reserved for any category for two consecutive terms immediately preceding the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2025, such office shall not be reserved for any category in the immediately succeeding election and shall be treated as unreserved;

Provided further that this restriction shall not apply where non reservation of such office would result in non-fulfillment of the prescribed percentage of reservation of any category under the Act and Rules."

By order,

Secretary (Panchayati Raj).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।